न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :

प्रकरण संख्या : 333/2018 प्रा० पत्र

अनवान

1- श्री भगवाना पिता लालू माली निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- श्री तुलसीराम पिता हजारीजी माली निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3- श्री नन्दलाल पिता भगवानलालजी माली नि० ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— प्रार्थीगण

बनाम

1- श्री रतनलाल पिता मायाराम माली नि० ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2- श्री परभु पिता मायाराम माली नि० ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3- श्री मोडी पिता मायाराम माली नि० ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4- फकू पिता मायाराम माली निवासी ओडून्द तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 251 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति 1. श्री गोपाल जाट अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- श्री जगदीराम धाकड़ अधिवक्ता विपक्षीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरुद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण कृषक है एवं प्रार्थीगण के पिता दादा भी कृषक थे। ग्राम ओडून्द मे आ.नं. 359 कुआ है। कुआ पर जाने हेतु आ.न० 363 सरकारी बिलानाम पर प्रवेश होकर आराजी नम्बर 362 की उतरी मेड पर होकर आ.नं. 361 पर होकर आ.नं. 359 पर पहुंचता है एवं इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 355, 356 पर पहुंचता है। यह रास्ता

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Bishnoi
Date: 2020.11.05 13:09
Reason: SelfAttested

चौड़ा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपना सामान कृषि उपकरण लाते ले जाते हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 362 विपक्षी की खातेदारी की है एवं आ.नं. 363 सरकारी बिलानाम भूमि है। विपक्षी ने आ.नं. 363 की पूर्वी सीमा से होकर आ.नं. 363 एवं 362 के दक्षिणी सीमा पर तार वाली जाली लकड़ी के पोल रोपकर लगा दी। आ.नं. 363 को रोक कर रास्ता मिटा दिया। प्रार्थीगण को आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 3-7-2018 को पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया जिससे कृषि नहीं कर पा रहे हैं। अतः के ग्राम ओडून की आ.नं. 362 की उत्तरी सीमा एवं आ.नं. 363 मे 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किए जाने बाबत उचित मुआवजा भुगतान करने का आदेश कर इस हेतु नक्शे मे तरमीम किया जाकर अवरोध हटाये कब्जा कर जाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता कारीराम धाकड़ ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/राजस्व/2020/376 दिनांक 20/02/2020 से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजीयात 355, 356 पर पहुंचने के कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3250 हे. में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 60 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर कुल 0.024 हे. है; जो सबसे निकटतम रास्ता है। रास्ते के लिए प्रस्तावित 0.024 हे. की कीमत डीएलसी दर 5193 प्रति एयर का दुगुना करने पर 25964.00 रुपए बनती है। प्राप्त रिपोर्ट पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा [illegible] मौका जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन [illegible]

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sund
Bishnoi
Date: 2020.11.05 18:09:10 IST
Reason: SelfAttested

की बहस पर गम्भीरता से मनन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 20/02/2020 को प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है एवं उक्त रिपोर्ट से अभिलेख उभय पक्ष उपलब्ध है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम ओडून्द की आराजी नम्बर 355, 356 पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत विपक्षीगण की आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3250 हे. मे से 60 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई (60 × 4 = 240 वर्गमीटर) = 0.024 हे. भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर 5193.00 रुपए प्रति एयर के अनुसार से कुल राशि 25964.00 रुपए का भुगतान विपक्षी संख्या 1 से 4 को भुगतान किए जाने पर उक्त भूमि ग्राम ओडून्द की आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3250 हे. मे से 0.024 हे. को बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि 25964.00 रुपए का भुगतान विपक्षीगण 1 से 4 को किए जाने बाबत उक्त राशि के ड्राफ्ट विपक्षीगणों के नाम के हिस्सेनुसार बनाकर, भुगतान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भिजवाये जावे तथा राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु, मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि छाया प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को भेजी जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर नक्शे मे तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

श्याम सुन्दर बिश्नोई
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Su
Bishnoi
Date: 2020.11.05 18:09:10 IS
Reason: SelfAttested